सत्यमेव जयते

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय – देहरादून (उत्तराखण्ड)
Central Board Of Secondary Education
Regional Office – Dehradun (Uttarakhand)

के0मा0शि0बो0 / क्षे0का0 / देदून0 / परी0शा0 / 10वीं / 2022 दिनॉकः **08.01.2022**

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य में संचालित समस्त प्राथमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय (सहायता प्राप्त) / निजी शिक्षण संस्थान) में भौतिक रूप से पठन–पाठन पूर्व निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

बोर्ड कार्यालय के पंत्राक संख्या– **के0मा0शि0बो0 / क्षे0का0 / देदून0 / परी0शा0 / 10वीं / 2022 दिनॉक 07.01.2022** के सम्बन्ध में उपरोक्त विषयक सभी विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या–/XXIV-B-5/2021-14/2021 TC (बेसिक) दिनांक 06 जनवरी, 2022 (प्रतिलिपि संलग्न) के अन्तगर्त दिये गये निर्देशो का विद्यालय स्तर पर पूर्णतः पालन किया जाना सूचिश्चित करे।

धन्यवाद सहित।

भवदीय,

08/01/2022
(पंकज शर्मा)
अनुभाग अधिकारी, परीक्षा 10वीं

प्रतिलिपि संलग्न – उपरोक्तानुसार।

संख्या: / XXIV–B-5 / 2021–14 / 2021 TC(बेसिक)

प्रेषक,

जे0एल0शर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,उत्तराखण्ड
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 06 जनवरी, 2022

विषयः– कोविड–19 के दृष्टिगत राज्य में संचालित समस्त प्राथमिक स्तर के शिक्षण संस्थानों(शासकीय / अशासकीय(सहायता प्राप्त) / निजी शिक्षण संस्थान) में भौतिक रूप से पठन–पाठन पूर्व निर्धारित समयावधि के अनुसार प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में संचालित समस्त प्रारम्भिक स्तर के शिक्षण संस्थानों (शासकीय / अशासकीय(सहायता प्राप्त) / निजी शिक्षण संस्थान) में कक्षा 01 से 05 तक की कक्षाओं में पठन–पाठन की अवधि पूर्व की भाँति किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 03 / XXIV–B–5 / 2021–14 / 2021 TC(बेसिक) दिनांक 05 जनवरी, 2021 को सम्यक विचारोपरान्त अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।

संख्या–05 (1) / XXIV–B–5 / 2021–14 / 2021 TC(बेसिक)तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. स्टॉफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अनुसचिव / अनुभाग अधिकारी, बेसिक शिक्षा अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में भविष्य में आने वाले समस्त सूचना का अधिकार / वाद आदि अन्य मामलों पर कार्यवाही बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 के स्तर से ही व्यवहृत की जायेगी।
8. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
9. निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ननूरखेड़ा देहरादून।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
पंजीकरण संख्या......
07 JAN 2022

10. सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर बोर्ड, नैनीताल।
11. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उत्तराखण्ड।
12. महानिदेशक, लोक सूचना एवं सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
13. सचिव, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई दिल्ली।
14. सचिव, आई0सी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली।
15. उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून।
16. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई0 कौलागढ़ रोड, देहरादून।
17. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
19. विभागीय पुस्तिका।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।